समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)
आदेश

****

कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार पटना के ज्ञापांक–जी0/आपदा–06–06/2020–102 (वि0स0को0) दिनांक–30.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिहार राज्य के राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमण्डल मुख्यालय, प्रखण्ड मुख्यालय एवं सभी नगर निकाय के क्षेत्रों में दिनांक–01.08.2020 से दिनांक–16.08.2020 तक 16 दिनों के लिए गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है तथा राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को विनियमित किया गया है।

(Annexure-1)

उपरोक्त आदेश की कण्डिका संख्या–13 में वर्णित है कि "The District Magistrates can not dilute restrictions imposed vide the aforesaid guidelines but, based on their assessment of the situation, may prohibit certain activities in areas outside containment zones, or impose such further restrictions as deemed necessary."

अतः उक्त के आलोक में दुकानों/प्रतिष्ठानों के परिचालन अवधि तथा वाहनों के परिचालन के संबंध में निम्न प्रकार से निदेश दिये जाते हैं :–

क्र0	प्रतिष्ठान/दुकान का प्रकार	खुलने का समय	खुलने का दिवस
1	स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सभी संस्थान/प्रतिष्ठान (अस्पताल/नर्सिंग होम/डिस्पेंसरी/क्लीनिक/दवा दुकानें/जाँच घर इत्यादि) एवं पेट्रोल पम्प तथा पीपराकोठी से डुमरियाघाट होते हुए लखनऊ जाने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ तथा पीपराकोठी से छपवा होते हुए बेतिया जाने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ पर अवस्थित सभी गैरेज एवं मोटर पार्टस की दुकानें।	24X7	प्रतिदिन
2	फल एवं सब्जी की दुकानें, दूध तथा डेयरी उत्पाद की दुकानें तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित गैरेज, मोटर पार्टस की दुकानें एवं गैस एजेन्सी	प्रातः 06:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक	प्रतिदिन
3	रेस्टोरेन्ट/ढाबा के माध्यम से केवल Home Delivery/Take Away की सुविधा	प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक	प्रतिदिन
4	मीट/मछली, कृषि उत्पाद, कीटनाशक, ऊर्वरकों की दुकानें तथा मिठाई की दुकानें	प्रातः 06:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक	सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार
5	अन्य सभी प्रकार की दुकानें तथा निजी कार्यालय (50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ)	प्रातः 06:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

02. **इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार दिनांक–03.08.2020 को मनाया जाएगा, इसके मद्देनजर सभी प्रकार की दुकानों को केवल दिनांक–02.08.2020 एवं 03.08.2020 को संध्या 05:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाती है।**

03. दुकानदार एवं खरीददार को हर परिस्थिति में मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि इस दौरान इसका उल्लंघन पाया जाता है तो उक्त दुकान को सील करते हुए आपदा अधिनियम–2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे।

04. उपरोक्त अवधि के दौरान मालवाहक वाहन, एम्बुलेंस, आवश्यक/आपातकालीन एवं सरकारी सेवाओं से संबंधित वाहनों का परिचालन 24x7 में हो सकेगा। अन्य निजी एवं सार्वजनिक वाहन का परिचालन प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक मोटरसाईकिल पर 01 व्यक्ति, एवं

टैम्पू/ई0 रिक्शा में 02 व्यक्तियों एवं 02 LMV पर 04 चार व्यक्ति (चालक सहित) मात्र बैठने की अनुमति होगी।

05. **गुरुवार एवं रविवार के दिन सम्पूर्ण जिले में मोटरसाईकिलों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी अपने परिचय पत्र के साथ केवल कार्यालय आने जाने हेतु मोटरसाईकिल का प्रयोग कर सकेंगे। अन्य व्यक्ति केवल स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही मोटरसाईकिलों का परिचालन कर सकेंगे।**

06. सभी संबंधित थाना प्रभारी उपरोक्त आदेश का शत प्रतिशत अनुपालन कराएँगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्/नगर पंचायत, पूर्वी चम्पारण एवं थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में माईकिंग व्यवस्था के साथ भ्रमणशील रहेंगे तथा उपरोक्त लॉकडाउन आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51-60 एवं भा0द0वि0 की धारा-188, Epidemic Diseases Act-1897, COVID-19 Regulations, 2020 के सुसंगत धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण विधि-व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा उपरोक्त आदेश का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित कराएँगे।

31/7/2020

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक-1907/आ0प्र0, मोतिहारी, दिनांक-31.07.2020

प्रतिलिपि- अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, पूर्वी चम्पारण/अपर समाहर्त्ता, लो0शि0नि0, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण/अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/समाहरणालय स्थित सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी/सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/नगर निकाय के सभी कार्यपालक पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/सभी अंचलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण एवं सभी थानाध्यक्ष, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी विभाग के कार्यपालक अभियंता, पूर्वी चम्पारण जिला/मोटरयान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/2020

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक-1907/आ0प्र0, मोतिहारी, दिनांक-31.07.2020

प्रतिलिपि- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- पुलिस उप महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

31/7/2020

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।